भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 835
उत्तर देने की तारीख : 04.12.2025

"छत्तीसगढ़ में एमएसएमई"

835. श्रीमती रूपकुमारी चौधरीः

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) छत्तीसगढ़ राज्य में उद्यम पंजीकरण पोर्टल के अंतर्गत पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की संख्या कितनी है तथा महासमुंद, गरियाबंद और धमतरी जैसे पिछड़े एवं आदिवासी बहुल जिलों में स्थित ऐसे उद्यमों की जिला-वार संख्या कितनी है;

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य में कितने उद्यमों ने छत्तीसगढ़ औद्योगिक नीति 2024-29 के अंतर्गत पंजीकरण-उत्पादन, बिजली शुल्क/मंडी टैक्स छूट जैसे निवेश प्रोत्साहन का लाभ उठाया है; और

(ग) क्या एमएसएमई क्रेडिट गैप को कम करने के लिए सरकार द्वारा लागू की गई केंद्रीय योजनाएं, जिसमें एक्सपोर्ट के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएसई) भी शामिल है, छत्तीसगढ़ राज्य के उद्यमियों तक बड़े पैमाने पर पहुंची हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या चुनौतियां हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) : वर्ष 2020 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को परिभाषित करने के लिए निवेश और टर्नओवर के युग्मित मानदंड के आधार पर एक संशोधित परिभाषा को अपनाया गया था। तदनुसार, पैन धारित उद्यमों के पंजीकरण के लिए दिनांक 01.07.2020 को उद्यम पंजीकरण पोर्टल (यूआरपी) की शुरुआत की गई थी। अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई) अर्थात ऐसे उद्यम, जिन्हें जीएसटी फाइल करने से छूट मिली है, को औपचारिक बनाने के लिए दिनांक 11.01.2023 को उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म (यूएपी) की शुरुआत की गई थी।

दिनांक 30.11.2025 तक की स्थिति के अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 12,43,824 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम पंजीकृत किए गए हैं, पिछड़े जिलों सहित पंजीकृत एमएसएमई का जिले-वार विवरण अनुबंध-I में संलग्न है।

(ख) : जैसा कि उद्योग निदेशालय, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया है, छत्तीसगढ़ राज्य में 956 उद्यमों ने औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के तहत प्रोत्साहन का लाभ उठाया है, इसका विवरण अनुबंध-II में दिया गया है।

(ग) : एमएसएमई क्रेडिट गैप को पाटने के लिए सरकार विभिन्न योजनाओं को लागू करती है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं जो छत्तीसगढ़ राज्य सहित पूरे देश में एमएसएमई को क्रेडिट सहायता प्रदान करती हैं, वे निम्नानुसार हैं:

(i) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) एक क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्व-रोजगार के अवसर सृजित करना है।

(ii) एमएसई के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को क्रेडिट के लिए गारंटी प्रदान करता है।

(iii) सार्वजनिक खरीद नीति (पीपीपी) केंद्रीय मंत्रालय/विभाग/पीएसयू को अपनी वार्षिक खरीद का कम से कम 25 प्रतिशत एमएसई से खरीदना अधिदेशित करती है।

अन्य केंद्रीय मंत्रालय/विभाग भी अपनी स्कीमों जैसे निर्यातकों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएसई) के माध्यम से अतिरिक्त कोलेटरल मुक्त 20% कार्यशील पूंजी सीमा, पीएम मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिकीकरण, प्रधान मंत्री विश्वकर्मा आदि के माध्यम से छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में एमएसएमई को ऋण सहायता प्रदान करते हैं।

****

अनुबंध-I

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 835, जिसका उत्तर दिनांक 04.12.2025 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

छत्तीसगढ़ राज्य के लिए दिनांक 01/07/2020 से दिनांक 30/11/2025 तक उद्यम और यूएपी के तहत जिले-वार पंजीकृत कुल उद्यम					
क्र. सं.	**जिला**	**सूक्ष्म**	**लघु**	**मध्यम**	**कुल**
1	बालोद	35,414	91	2	**35,507**
2	बालोद बाजार	41,697	300	3	**42,000**
3	बलरामपुर	13,690	37	-	**13,727**
4	बस्तर	33,559	157	5	**33,721**
5	बेमेतरा	24,500	79	3	**24,582**
6	बीजापुर	8,183	9	1	**8,193**
7	बिलासपुर	111,302	766	58	**112,126**
8	दंतेवाड़ा	7,312	33	-	**7,345**
9	धमतरी	39,880	239	6	**40,125**
10	दुर्ग	141,153	949	94	**142,196**
11	गरियाबंद	17,211	38	2	**17,251**
12	गौरेलापेंद्रमरवाही	6,280	27	-	**6,307**
13	जांजगीर-चांपा	72,566	218	10	**72,794**
14	जशपुर	29,704	81	3	**29,788**
15	कबीरधाम	26,655	85	2	**26,742**
16	कांकेर	27,429	88	1	**27,518**
17	खैरगढ़ छुईखदान गंडई	4,609	7	-	**4,616**
18	कोंडागांव	18,517	65	2	**18,584**
19	कोरबा	69,900	351	32	**70,283**
20	कोरिया	18,435	58	-	**18,493**
21	महासमुंद	47,452	184	2	**47,638**
22	मनेंद्रगढ़ चिरीमिरी भरतपुर	6,110	13	-	**6,123**
23	मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी	2,871	1	-	**2,872**
24	मुंगेली	18,551	45	1	**18,597**
25	नारायणपुर	5,134	10	-	**5,144**
26	रायगढ़	66,869	505	63	**67,437**
27	रायपुर	204,289	3,187	395	**207,871**
28	राजनंदगांव	56,439	327	15	**56,781**
29	सक्ती	7,292	20	-	**7,312**
30	सारंगढ़ बिलाईगढ़	6,452	8	-	**6,460**
31	सुकमा	3,496	17	-	**3,513**
32	सूरजपुर	23,891	86	3	**23,980**
33	सरगुजा	37,966	223	9	**38,198**
	कुल:-	**12,34,808**	**8,304**	**712**	**12,43,824**
रिपोर्ट दिनांकित:- 01/12/2025 अपराहन 03:35					

स्रोत: उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल

अनुबंध-II

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 835, जिसका उत्तर दिनांक 04.12.2025 को दिया जाना है, के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

आईडीपी 2024-30 के तहत मिलने वाले प्रोत्साहन		
क्र. सं.	प्रोत्साहन	संख्या
1	विद्युत ड्यूटी में छूट	0
2	मंडी टैक्स में छूट	0
3	मार्जिन मनी सब्सिडी	23
4	उत्पादन प्रमाण-पत्र	36
5	स्टैम्प ड्यूटी में छूट	897
कुल		956

स्रोत- छत्तीसगढ़ राज्य का सिंगल विंडो सिस्टम